न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 05 / 2022

थानाधिकारी पुलिस थाना गोपालगढ़ जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

आसिफ कुरेशी पुत्र नसीम कुरेशी निवासी किरावली थाना अछनेरा जिला आगरा यूपी

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 77 / 2022 में जप्त वाहन आईशर कैन्ट्रा संख्या रजि.न. UP-85AT-9890 के बाबत।

उपस्थित :–
1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2–श्री वीरेन्द्र सिंह फोजदार अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय दिनांक 22.11.2022

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाड़ा जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) इस आश्य का पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.5.2022 को दौराने नाकाबन्दी एक आयसर कैन्ट्रा गाडी सहडूंगर की तरफ से आई उसे को रोक कर चैक किया गया। आयसर गाड़ी का वाहन चालक, 2 गौ तस्कर गाड़ी को छोड़कर अंधरे का फायदा उठाकर भाग गये। गाड़ी को चैक किया गया, गाड़ी पर रजि. न. आरजे 05 1116 पाया गया जिसको चेक किया तो इसके चैसिस नं. 379773 तथा इंजन नं. E414CDHH158815 पाये गये नम्बर प्लेट के नीचे रजि0 नं यूपी 85 एटी 9890 लिखा हुआ था अतः आयसर गाड़ी चौरी की है जिस पर दूसरी गाडी के नम्बर डाले हुये हैं। गाडी में 12 गौवंश को ठूंस ठूंस कर भर रखा था एवं गौवश के मुहं पैरों व कमर से रस्सों से बुरी तरह से बांध कर पटक रखा था, जिनमें 1 गाय व

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

11 सांड भरे हुये मिले । जिनको बतौर बजह सबूत बरुये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया तथा वाहन आयर केन्ट्रा को बतौर साक्ष्य जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। अज्ञात मुलजिमान द्वारा गौंवश को बध हेतु राजस्थान से हरीयाणा ले जाना अपराध धारा 5 / 8 आरबीएक्ट तथा चोरी के वाहन पर इंजन नं. व चैसिस न. बदलकर दूसरे नम्बर की प्लेट लगाकर चलाना धारा 379,411,473,482,120 बी आईपीसी तारीफ से आना पाया गया है, जप्त शुदा गौंवंश को पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर जयश्री गौशाला में जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की गई नक्शा मौका निरीक्षण कर व कसीद कर शामिल पत्रावली किया गया आयसर केन्ट्रा गाडी सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर में खड़ी की गई। जिसका चैसिस नम्बर एमसी2वी7ईआरसीओएचएच 379773 व इंजन नम्बर E414CDHH158815 है जिसका रंग लाल है राजकोप ऐप से चैसिस नम्बर एमसी2वी7ईआरसीओएचएच 379773 व इंजन नम्बर E414CDHH158815 डालकर देखा गया तो उक्त आयर केन्ट्रा का असल वाहन मालिक आसिफ पुत्र नसीम कुरैशी निवासी किरावली थाना अछनेरा आगरा यूपी है, जिसकी चोरी के सम्बन्ध में एफआईआर नम्बर 147 / 22 दिनांक 9.5.2022 आगरा में दर्ज है। मुलजिमान की तलाश जारी है व अनुसंधान जारी है। जप्त वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी वाहन मालिक आसिफ कुरेशी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी हेतु पेश किया गया है। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित आये उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई । अभिभाषक अप्रार्थी ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना गोपालगढ ने दौराने नाकाबन्दी उक्त जप्त गाडी को रोक कर चैक किया गया। 12 गौंवश को वेहरमी से ऊपर नीचे पटकर भर रखा था। पशु तस्कर अधेंरे का लाभ उठाकर भाग गये हैं। उक्त गौवंश को राजस्थान से हरियाणा परिवहन कर ले जाया जा रहा था। उक्त वाहन द्वारा बिना परमिशन के राजस्थान से हरियाणा प्रान्त में गौकशी हेतु गौंवश को ले जाने का अपराध 5 / 8 गौवध अधिनियम की तारीफ में आना पाये जाने पर इसके खिलाफ थाना हाजा में एफआर दर्ज की गई। गाडी को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी आसिफ कुरेशी पुत्र नसीम कुरैशी वाहन आईशर कैन्ट्रा रजि. नं. UP85-AT9890 का मालिक है। उक्त वाहन को पुलिस थाना गौपालगढ़ जिला भरतपुर ने गौवंश तस्करी में जप्त किया गया है, वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण संभावना है। जप्त वाहनों की पुलिस थाना को अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यों हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। जप्त वाहनों को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या गौवंश को राजस्थान की सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाया जारहा था?
2–क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त था ?
3–क्या अप्रार्थी0 वाहन मालिक के पास गोवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1 व 2 – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात प्रतिवन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी गोपालगढ जिला भरतपुर (राजस्थान) ने उक्त आईशर कैन्ट्रा रजि. नं. UP85-AT9890 वाहन को गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये दिनांक 21.5.2022 को जप्त किया गया है। जप्त वाहन आईशर कैन्ट्रा रजि. नं. UP85-AT9890 की बाडी में 12 गौंवश को वेहरमी से ऊपर नीचे पटकर भर रखा था। उक्त गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से परिवहन कर हरियाणा ले जाया रहा था। जप्त वाहन गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाया गया है। पुलिस थाना गोपालगढ द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा परिवहन करते हुये गिरफतार किया जाकर इसके विरुद्व धारा 5 8 गौवंश अधिनियम के तहत एफआइआर नम्वर 077 / 2022 दर्ज की गई है।

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी वाहन मालिक की ओर से सिवाय इसके कि जप्त वाहन खुले में थाना परिसर में खडा हुआ है जिससे वाहन खराब हो जायेगा। पुलिस थाना खोह को वाहन की अब कोई आवश्यकता नही है, प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु की आवश्यकता को देखते हुये जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे। परन्तु योग्य अभिभाषक वाहन मालिक ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जप्त वाहन राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य की सीमा में गौंवश की तस्करी परिवहन में लिप्त नहीं होना माना जा सके। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी की मद नं. 3 में स्वीकार किया है कि ".....उक्त वाहन को दिनांक 20.5.2022 को गौवंश से भरा हुआ जप्त किया गया था जिसकी जानकारी प्राथी को तफतीश अधिकारी द्वार दी गई है....."। यानि जप्त वाहन आयशर कैन्ट्रा राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौंवश तस्करी में लिप्त था, जिसमें वक्त मौका 12 गौवंश पशु जप्त किये गये हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात फर्द जप्त वाहन दिनांक 21.5.2022, जप्त 12 गौवंश के मेडिकल मुआयना वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी राज. पशु चिकित्सालय पहाडी राज. तारीखी 21.5.2022 एवं जप्त गौवंश 12 को जयश्री गौशाला में दाखिला रसीद दिनांक 21.5.2022 के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या आईशर कैन्ट्रा रजि. नं. UP85-AT9890 राजस्थान सीमा से 12 गौवंश को परिवहन कर हरियाणा राज्य में ले जाने में लिप्त था।

3 — राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को बिना सक्षम अधिकारी के परमिट/स्वीकृति के बिना निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट से राजस्थान सीमा से बाहर गौवंश को जप्त वाहन के परिवहन करने की स्वीकृति/परमिट के बारे पूछा गया तो योग्य अभिभाषक वाहन मालिक की ओर से गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर परिवहन करने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति या परमिट हमारे समक्ष पेश नहीं की गई है, और नाहीं कोई स्वीकृति प्राप्त करना बताया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :—

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंवधित है.....।"

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन आईशर कैन्ट्रा रजि. नं. UP85-AT9890 गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये वाहनों को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन आईशर कैन्ट्रा रजि. नं. UP85-AT9890 चैसिस नम्बर एमसी2वी7ईआरसीओएचएच 379773 व इंजन नम्बर E414CDHH158815 पर जुर्माना (Fine) राशि पांच लाख रुपये राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना गोपलागढ, जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर